प्रेस विज्ञप्ति
17.11.2026

ईडी ने टोरेस ज्वेलरी धन शोधन मामले में रोमानिया से विदेशी नागरिक का प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड, जो 'टोरेस ज्वेलरी' ब्रांड नाम से कारोबार कर रही थी, के विरुद्ध धन शोधन जांच में प्रमुख आरोपियों में से एक विदेशी नागरिक **श्री ओलेक्जैंडर ज़ापिचेंको उर्फ एलेक्स** का रोमानिया से भारत में सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया है। ईडी के तीन सदस्यीय दल ने फरार आरोपी को रोमानिया से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के रास्ते सफलतापूर्वक भारत वापस लाया और वह दिनांक 17.11.2026 को 16:45 बजे मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचा। सीबीआई, जो इंटरपोल से संबंधित मामलों के लिए भारत की नोडल एजेंसी है, ने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तथा उस विदेशी नागरिक की भारत वापसी में सहायता की, जिसके विरुद्ध धन शोधन के मामले में अभियोजन शिकायत दायर की जा चुकी है।

श्री ओलेक्जैंडर ज़ापिचेंको उर्फ एलेक्स का रोमानिया से प्रत्यर्पण जांच में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। यह राष्ट्रीय सीमाओं से परे बड़े आर्थिक अपराधों में संलिप्त फरार आरोपियों का पता लगाने तथा उन्हें कानून की प्रक्रिया का सामना करने के लिए भारत वापस लाने हेतु ईडी के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।

ईडी ने वाशी, नवी मुंबई स्थित एपीएमसी पुलिस थाने तथा अन्य पुलिस थानों में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत जांच शुरू की।

जांच में पता चला कि मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड ने अपने 'टोरेस ज्वेलरी' शोरूम के माध्यम से असाधारण रूप से उच्च प्रतिफल और रेफरल बोनस देने का वादा करके अनेक छोटे एवं भोले-भाले निवेशकों को कथित रूप से एक धोखाधड़ीपूर्ण निवेश योजना में फंसाया। इसके साथ ही, कम मूल्य के आभूषणों को अत्यधिक बढ़ी हुई कीमतों पर बेचा गया। भारी मात्रा में एकत्रित नकदी को वैध कारोबारी उद्देश्यों में उपयोग करने के बजाय हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से अन्यत्र भेजा गया और उसे यूएसडीटी क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया गया। श्री ओलेक्सांद्र ज़ापिचेंको उर्फ एलेक्स के निर्देशों पर कार्य करने वाले श्री अल्पेश प्रवीणचंद्र खारा को ईडी ने 26.03.2025 को गिरफ्तार किया था। अब तक चिन्हित अपराध की आय को **177.12 करोड़ रुपये** निर्धारित किया गया है। श्री ज़ापिचेंको इस धनराशि के संग्रहण और उसे अन्यत्र भेजने का निर्देश देने में संलिप्त प्रमुख व्यक्तियों में से एक के रूप में सामने आए हैं।

इस मामले में दिनांक 22.05.2025 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की गई थी और माननीय न्यायालय ने दिनांक 29.07.2025 को अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया। माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, मुंबई ने दिनांक 03.11.2025 को श्री ओलेक्जैंडर ज़ापिचेंको उर्फ एलेक्स के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया था, जो फरार था और भारत से बाहर रह रहा था। ईडी के अनुरोध पर आरोपी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पता लगाने और उसकी गिरफ्तारी को सुगम बनाने के लिए उसके विरुद्ध **इंटरपोल रेड नोटिस** प्रकाशित किया गया। ईडी द्वारा शुरू किए गए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के परिणामस्वरूप श्री ओलेक्जैंडर ज़ापिचेंको को दिनांक 23.05.2026 को रोमानिया में अनंतिम रूप से गिरफ्तार किया गया। रोमानिया के सक्षम न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष प्रत्यर्पण की कार्यवाही के दौरान ईडी ने रोमानियाई प्राधिकारियों को समयबद्ध उत्तर दिए। इसके पश्चात, बुखारेस्ट के माननीय न्यायालय ने श्री ओलेक्सांद्र ज़ापिचेंको के प्रत्यर्पण का आदेश दिया, जिसे आगे चलकर बुखारेस्ट की अपील न्यायालय ने भी बरकरार रखा।

यह सफल प्रत्यर्पण ईडी के निरंतर प्रयासों का परिणाम है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय समन्वय, अंतर-सरकारी सहयोग तथा विभिन्न न्यायक्षेत्रों में कानूनी कार्यवाही शामिल रही। निदेशालय इस साझा प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए रोमानिया सरकार और एनसीबी बुखारेस्ट के प्रति आभार व्यक्त करता है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार होने वाले धन शोधन और संगठित अपराध से निपटने के लिए दोनों देशों के संकल्प को दर्शाता है। निदेशालय सुगम पारगमन सुनिश्चित करने के लिए यूएई के प्राधिकारियों तथा इस प्रक्रिया में सुचारु समन्वय हेतु नोडल एजेंसी के रूप में सीबीआई (एनसीबी इंडिया), विदेश मंत्रालय आदि सहित अन्य हितधारकों के प्रति भी आभार व्यक्त करता है।





आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।